प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में नया खंड (22ककक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे "निर्वाचन न्यास" को केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा उस रूप में अनुमोदित न्यास के रूप में परिभाषित किया जा सके ।

तदनुसार केंद्रीय सरकार को इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में स्कीम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 8 नई धारा 13ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक अभिदाय ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) ऐसा निर्वाचन न्यास उक्त पूर्ववर्ष के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनैतिक दल को किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के अग्रनीत अधिशेष सहित, यदि कोई हो, उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सकल संदानों का पचानवें प्रतिशत वितरित करता है; और

(ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है ।

तदनुसार केंद्रीय सरकार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" पदों को परिभाषित करता है।

प्रस्तावित संशोधन धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत निर्धारिती को निःशुल्क या रियायती दर पर नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित की गई किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेयरों का मूल्य सम्मिलित होगा । खंड (vii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत नियोजक द्वारा निर्धारिती के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक सीमा तक अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी अभिदाय की रकम सम्मिलित होगी । इसके अतिरिक्त खंड (viii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत किसी अन्य अनुषंगी फायदे या ऐसी सुख-सुविधा का मूल्य भी सम्मिलित होगा जो विहित की जाए ।

यथास्थिति किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेयरों का मूल्य उस तारीख को, जिसको निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, निर्धारिती द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई वास्तविक रकम से घटाकर आया विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा । "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार अवधारित किया गया मूल्य अभिप्रेत है, जो विहित किया जाए ।

अतः बोर्ड को निम्नलिखित हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है,—

(i) वह पद्धति विहित करना, जिसके अनुसार उचित बाजार मूल्य अवधारित किया जाएगा; और

(ii) किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा के मूल्य के बारे में उपबंध करना ।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट कारबार संबंधी व्यय की बाबत कटौतियों से संबंधित नई धारा 35कघ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, उसके द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उपगत पूंजी प्रकृति के किसी संपूर्ण व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा 35कघ ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार को लागू होती है, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और ऐसी किन्हीं अन्य शर्तों को भी पूरा करता है, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं।

तदनुसार बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पूरा की जाने वाली किन्हीं अन्य शर्तों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 26 अन्य स्रोतों से आय के कराधान से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 56 का सशोधन करने के संबंध में है ।

प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति प्राप्त करता है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, तो ऐसी संपत्ति का संपूर्ण कुल उचित बाजार मूल्य प्राप्तिकर्ता की ओर से कराधीन होगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि यदि ऐसी संपत्ति ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त की जाती है, जो संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक रकम तक कम है तो ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, प्राप्तिकर्ता की ओर से कराधीन होगा ।

प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि स्थावर संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है, जो विहित किया जाए ।

अतः बोर्ड को ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने की पद्धतियों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 39 विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ करार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 90 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ, आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत से बाहर किसी देश या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार करने के लिए सशक्त किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

अतः केंद्रीय सरकार को ऐसे उपबंध अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है जो उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि अधिनियम या प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो और अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में उसका है ।

अतः केंद्रीय सरकार को पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए कतिपय पदों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण 2 यह उपबंध करता है कि "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" से भारत के बाहर ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए ।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम में सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित नई धारा 92गख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन रहते हुए होगा । तदनुसार, उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है ।

विधेयक का खंड 55 विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित नई धारा 144ग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा इस नई धारा के अधीन पात्र निर्धारिती द्वारा किए गए आक्षेपों के शीघ्र निपटान के प्रयोजन के लिए विवाद समाधान तंत्र का उपबंध करती है ।

तदनुसार, बोर्ड को पात्र निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए विवाद समाधान पैनल के दक्ष कृत्यकरण के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 60 ठेकेदारों को संदाय से संबंधित धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि मालवाहन चलाने, किराए पर या पट्टे पर देने के कारबार प्रक्रम के दौरान ठेकेदार के खाते मे पूर्ववर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित किसी राशि से, ऐसी राशि का संदाय या जमा करने वाले व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने पर, कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

बोर्ड को मालवाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के प्रक्रम के दौरान ठेकेदार के खाते में उपरोक्त राशि का संदाय या जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा विशिष्टियां प्रस्तुत करने के संबंध में प्ररूप और समय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 63 कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध यह उपबंध करते हैं कि उक्त उपधारा के अधीन किसी राशि की कटौती करने वाला कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि विहित करने हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जो उपधारा (3) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 67 कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय की बाबत तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) उक्त धारा में यथाउपबंधित "तिमाही विवरणियों" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी अवधियों के लिए ऐसे विवरण, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है, जो उक्त धारा के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 69 अल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार करने के कारबार के लाभों और अभिलाभों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जो अल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार करने के कारबार से कर संग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 76 साधारणतया सूचना की तामील से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 282 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा 282 का खंड (घ) बोर्ड को किसी सूचना या समन आदि की तामील के प्रयोजन के लिए उसमें उपबंधित पारेषण के साधनों के अतिरिक्त दस्तावेजों के पारेषण के किन्हीं अन्य साधनों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को उस पते का (इलेक्ट्रानिक डाक या इलेक्ट्रानिक डाक संदेश सहित) उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है, जिसमें उक्त धारा में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या पारेषित की जा सकेगी ।

विधेयक का खंड 83 धन-कर अधिनियम की धारा 44क के स्पष्टीकरण में, जो "व्यतिकारी देश" पद को परिभाषित करता है, "किसी देश" शब्दों के स्थान पर, "भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर किसी राज्यक्षेत्र" शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा 44क केंद्रीय सरकार को किसी व्यतिकारी देश की सरकार के साथ करार करने के लिए सशक्त करती है । इसमें यह और उपबंध है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी देश के साथ ऐसे करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेगी ।

अतः केंद्रीय सरकार को उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

धन-कर अधिनियम की धारा 44क का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार "व्यतिकारी देश" को अधिसूचित कर सकेगी जिससे भारत के बाहर कोई देश या भारत के बाहर कोई राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

अतः केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "व्यतिकारी देश" अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 84 सीमाशुल्क अधिनियम में कतिपय मामलों में आयात शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित एक नई धारा 26क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है । उक्त धारा 26क की उपधारा (1) का खंड (घ) माल के निर्यात, उसके संबंध में हक के परित्याग और उसे सीमाशुल्क अधिकारियों के पास छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में आयातित माल को नष्ट करने या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यविहीन करने के प्ररूप और रीति अधिकथित करने के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे आयात शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति अधिकथित करने हेतु विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 88 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है । उक्त धारा की उपधारा (3) अपराधों के प्रशमन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 103 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा की उपधारा (2) प्रशमन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 112 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है । उक्त खंड के उपखंड (ऊ) में धारा 94 के संशोधन का प्रस्ताव है, जो केन्द्रीय सरकार को सेवा कर की दर और कराधेय सेवा के उपबंध के स्थान का अवधारण के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

वे विषय जिनकी बाबत विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।